रसद मामला संख्या–92/2021
राज.सरकार बनाम महेन्द्र टाक

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– पीयुष समारिया,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 92/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/132

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		महेन्द्र टाक पुत्र श्री रूपाराम टाक निवासी जसनगर तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक – 25-05-2022

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 गेस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बावजूद तामील नोटिस के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 05.05.2022 अनुसार उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

2. प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 29.08.2021 को जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर को जसनगर मे घरेलू रसोई गैस के अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक दुरूपयोग की मुखबिर से मिली शिकायत के आधार पर जिला रसद अधिकारी, नागौर के निर्देशानुसार श्री रामजीवन बेनीवाल, प्रवर्तन अधिकारी हमराह मुझ रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक समय सांय 6 बजे मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौके पर पहुंचने पर मौके पर अप्रार्थी श्री महेन्द्र टाक उपस्थित मिले। परिसर का मौका निरीक्षण करने पर मौके पर 15 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर एवं दोनों गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर के सिरों पर दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री महेन्द्र टाक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह स्थान रूपजी का नोहरा, मेड़तासिटी रोड जसनगर उसने 2000रूपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया है तथा इस स्थान पर वह कारों मे घरेलू गैस भरने का कारोबार करता है। कार मे एक घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस भरने के लिए वह वाहन चालक से गैस का मूल्य व गैस भरने का कुल 950 रूपये वसूल करना बताया। यदि कार चालक स्वयं का सिलेण्डर लाता है तो गैस भरने के लिए 50 रूपये वसूल करना बताया। श्री महेन्द्र टाक ने कारों मे घरेलू गैस भरने का कार्य पिछले एक वर्ष से करना स्वीकार किया। श्री महेन्द्र टाक से घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उसके किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र एवं दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर अप्रार्थी श्री महेन्द्र टाक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से मौके पर पाये गये 15 घरेलू गैस सिलेण्डर व 02 गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर को जब्त सरकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:54 IST
Reason: SelfAttested

2(1)—वक्त जांच रूपजी का नोहरा, मेड़तासिटी रोड जसनगर पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क. सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	सिलेण्डर का कुल वजन	रिक्त सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	793773	29.7 Kg	15.5 Kg	14.2 Kg
2	भारत गैस	561307	30.1 Kg	15.9 Kg	14.2 Kg
3	भारत गैस	485623	29.6 Kg	15.4 Kg	14.2 Kg

कलक्टर, नागौर

4	भारत गैस	121290	29.9 Kg	15.7 Kg	14.2 Kg
5	भारत गैस	154340	29.7 Kg	15.5 Kg	14.2 Kg
6	भारत गैस	997279	29.8 Kg	15.6 Kg	14.2 Kg
7	भारत गैस	359233	29.9 Kg	15.7 Kg	14.2 Kg
8	इण्डेन गैस	408429	30.8 Kg	16.6 Kg	14.2 Kg
9	इण्डेन गैस	121079	31.3 Kg	17.1 Kg	14.2 Kg
10	इण्डेन गैस	560444	29.7 Kg	15.5 Kg	14.2 Kg
11	भारत गैस	162631	30.3 Kg	16.1 Kg	14.2 Kg
12	इण्डेन गैस	124972	30.2 Kg	16.0 Kg	14.2 Kg
13	भारत गैस	650814	30.2 Kg	16.0 Kg	0.0 Kg
14	भारत गैस	323005	29.8 Kg	15.6 Kg	0.0 Kg
15	भारत गैस	132352	31.0 Kg	16.8 Kg	0.0 Kg
02 गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर					

इस प्रकार अप्रार्थी श्री महेन्द्र टाक द्वारा रूपजी का नोहरा, मेड़तासिटी रोड जसनगर पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), खण्ड 4(1) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7(1)(a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 02 गेस रिफिलिंग विद्युत मोटर, व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर श्री सतीश बडियासर पुत्र श्री चेनाराम प्रतिनिधि मैसर्स नीलकण्ड भारत गैस जेतारण रोड जसनगर को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये जाने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने उक्त सीज सुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 02 गेस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। दिनांक 29.08.2021 को जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षकगण मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौके पर पहुंचने पर मौके पर अप्रार्थी महेन्द्र टाक उपस्थित मिला। परिसर का मौका निरीक्षण करने पर मौके पर 15 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर एवं दोनों गैस रिफिलिंग विद्युत मोटर के सिरों पर दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री महेन्द्र टाक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह स्थान रूपजी का नोहरा, मेड़तासिटी रोड जसनगर उसने 2000रूपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर लिया है तथा इस स्थान पर वह कारों मे घरेलू गैस भरने का कारोबार करता है। कार मे एक घरेलू गैस सिलेण्डर की गैस भरने के लिए वह वाहन चालक से गैस का मूल्य व गैस भरने का कुल 950 रूपये वसूल करना बताया। यदि कार चालक स्वयं का सिलेण्डर लांता है तो गैस भरने के लिए 50 रूपये वसूल करना बताया। अप्रार्थी महेन्द्र टाक ने कारों मे घरेलू गैस भरने का कार्य पिछले एक वर्ष से करना स्वीकार किया। अप्रार्थी महेन्द्र टाक से घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व विकय से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उसके किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र एवं दस्तावेज नहीं होना जॉच दल के समक्ष स्वीकार किया। मौके पर अप्रार्थी महेन्द्र टाक द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण व [illegible] सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से मौके पर रूपजी का नोहरा, मेड़तासिटी रोड जसनगर पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों पाये गये 15 घरेलू गैस सिलेण्डर व 02 गेस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर को [illegible] किया गया, जिनका विवरण उपर्युक्त पैरा संख्या–2(1) में अंकित किया गया है। [illegible] कार्यवाही के संबंध में जॉच दल द्वारा फर्द मौका दिनांक 29.08.2021, फर्द जब्ती मय सुपुर्दनामा दिनांक 29.08.2021, जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरां की तलपट्टी मौके पर तैयार की गई जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी महेन्द्र टाक के बयान दिनांक 29.08.2021 जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 16:10:54 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

उक्त दस्तावेजात से उपर्युक्तानुसार कार्यवाही एवं तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त संबंध में अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, परन्तु अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हीं नहीं हुआ, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी की प्रार्थी विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही पर मौन स्वीकृति है। इस प्रकार अप्रार्थी महेन्द्र टाक द्वारा रूपजी का नोहरा, मेड़तासिटी रोड जसनगर पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर का भण्डारण कर व्यवसायिक दुरूपयोग करना, "लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), खण्ड 4(1) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7(1)(a) की स्पष्ट अवहेलना है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में हस्तगत निर्णय के पैरा संख्या–2(1) में वर्णितानुसार 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 02 गेस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर का राजहक समपहरण (Confiscate) किया जाता है। उक्त जब्तशुदा 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस, 02 गेस रिफिलिंग विद्युत मोटर व उनसे लगे दो–दो पाईप मय प्रेशर रेग्यूलेटर का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया),
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:54 IST
Reason: SelfAttested